न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 126/2024

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
राजेश भाटी पुत्र मदनलाल भाटी जाति मेघवाल निवासी ग्राम हरियाढाणा तह. बिलाडा		तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :– प्रार्थी की ओर से श्री पदमाराम चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1 सरकारी पैरोकार

:: आदेश :: **दिनांकः–** 3/3/25

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर का मूल निवासी है। ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 2653/2520 रकबा 0.0809 हेक्टयर, खसरा नंबर 2654/2520 रकबा 0.2427 हैक्टयर, खसरा नंबर 2655/2520 रकबा 0.7281 हेक्टयर, खसरा नंबर 2656/2520 रकबा 0.1537 हैक्टयर कुल खसरा 4 का कुल रकबा 1.2054 हेक्टयर है जो जमाबंदी संवत 2074–2077 के खाता सं. 1185 में प्रार्थी का नाम दर्जसुदा है। उक्त भूमि पर प्रार्थी एक मात्र कामिल मालिक की हैसियत कब्शाकाश्त करते आ रहे है। उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी का कब्जा निर्विवाद रूप से चला आ रहा है। उक्त खसरे की भूमि में से उतर दिशा की तरफ हरियाढाणा से मुण्डेलों की ढाणी जाने वाली डामरीकृत आम सडक स्थित है जो सडक खसरा नंबर 2658/702 की भूमि के पास से होते हुए खसरा नंबर 702/2 से आगे की ओर जाती है परन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त खसरों की जमाबंदी व आंनलाईन नक्शा प्राप्त करने पर पता चला कि ऑनलाईन नक्शे में राजस्व कर्मचारियों की भूल के कारण मौके की स्थिति अनुसार खसरा नंबर 702/2 की खसरे की भूमि में आगे सडक को नहीं दर्शाया गया है तथा रास्ते की भूमि को नक्शा में खसरा नंबर 702/2 की भूमि में शामिल कर दर्शाया गया है जबकि पास स्थित खसरा 2658/702 व खसरा नंबर 2664/701 के नक्शे उतर दिशा की ओर रास्ता का दर्शाया गया है जिस कारण प्रार्थी को अपनी भूमि के राजस्व कार्यवाहीयां करने में काफी परेशानी हो रही है तथा आवागमन वगैरा में मौके पर विवाद उत्पन्न हो रहा जिसको समाप्त करने के लिए प्रार्थी की भूमि के आगे नक्शे में खसरा नंबर 702/2 की भूमि में शुद्धिकरण के लिए अप्रार्थी तहसीलदार बिलाडा को निवेदन किया गया मगर उन्होनं मौके डामरीकृत आम रास्ता को नक्शे में दुरस्ती करने से दिनांक 25.06.2024 को स्पष्ट मना कर दिया इसलिए प्रार्थी को न्यायालय की शरण लेनी पडी है।राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू रिर्कोड नियमों के अनुसार पटवारी द्वारा कब्जा के अनुसार पैमाईस कर तरमीम की जाती है मगर उक्त वादग्रस्त भूमि के पास स्थित खसरों के उतर दिशा की तरफ चालू आम डामरीकृत सडक को आनलाईन नक्शें में नहीं दर्शाया जाकर

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आम सडक को खसरा नंगबर 702/2 की भूमि में दर्शाया गया है जिस कारण मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए नक्शे में मार्क ए.बी.सी. डी. अनुसार मौके व पूर्व रेकर्ड अनुसार आम डामरीकृत सडक की तरमीम की जाने व आनलाईन नक्शा में आम डामरीकृत सडक दर्शाये जाने हेतु श्रीमान तहसीलदार बिलाडा को आदेश फरमाया जावे ताकि मौके की एवं रिकोर्ड की एकरूपता हो सके तथा भविष्य मे कोई वाद विवाद उत्पन्न नहीं हों। वादग्रस्त भूमि ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर में स्थित होने एवं श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र को सुनवाई का एकमात्र अधिकारी माननीय न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र पेशकर श्रीमानजी से निवेदन है कि ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 2653/2520 रकबा 0.0809 हेक्टयर, खसरा नंबर 2654/2520 रकबा 0.2427 हैक्टयर, खसरा नंबर 2655/2520 रकबा 0.7281 हेक्टयर, खसरा नंबर 2656/2520 रकबा 0.1537 हैक्टयर कुल खसरा 4 का कुल रकबा 1.2054 हेक्टयर कृषि भूमि के उतर दिशा की तरफ हरियाढाणा से मुण्डेलों की ढाणी जाने वाली डामरीकृत आम सडक जो खसरा नंबर 2658/702 की भूमि के पास से होते हुए खसरा नंबर 702/2 के आगे की ओर जाता है जो रास्ते का खसरा नंबर 702/2 मे वर्तमान में आन लाईन नक्शे में उक्त खसरे की भूमि में शामिल रूप से दर्शाया गया है जो गलत है इसलिए मौका अनुसार खसरा नंबर 702/2 में उतर तरफ मार्क ए.बी.सी.डी अनुसार आम डामरीकृत सडक को राजस्व रेकर्ड में नक्शे में नये सिरे से तरमीम कर सही व दुरूस्त कर दर्शाये जाने हेतु अप्रार्थी को आदेश जारी किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हरियाढाणा के खसरा नंबर 702/2 रकबा 0.9223 हैक्टयर के उतर दिशा में मौके पर चल रहे रास्ते के संबंध में रिपोर्ट चाही गई है। इस संबंध में पटवारी हल्का हरियाढाणा को रेकर्ड एवं मौका स्थिति की जांच हेतु लिखा गया था पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में खसरा नंबर 702/2 में आनलाईन नक्शे में सडक प्रदर्शित नहीं होना बताया है जबकि मौके पर डामर सडक मौजूद है खसरा नंबर 702/2 के पूर्व व पश्चिम दिशा में उक्त सडक आनलाईन नक्शे में प्रदर्शित है। जो पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में दिखाया गया है। एवं ग्राम पंचायत हरियाढाणा सरपंच द्वारा मौका फर्द प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत हरियाढाणा से मुण्डेलों की ढाणी में मुख्य सडक बिलाडा –मेडता से लिंक डामरीकरण सडक करीब 2 किमी खसरा नंबर 702/2 व 702 की सीमा के पास से करीब 30 वर्षो से यह डामर सडक मौके पर अवागमन सुचारू रूप से चल रही है रोजाना इस सडक पर यातायात साधनों का आवागमन चलता है इस सडक पर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाडा

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया जवाब का मनन एवं अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा ग्राम हरियाढाणा के खसरा नंबर 702/2 रकबा 0.9223 हैक्टयर के

संबंध चालू आम सडक को ऑनलाईन नक्शें में नहीं दर्शाया गया जिसके संबंध में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया गया लेकिन प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 702/2 के किसी भी सहखातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया। सहखातेदार को पक्षकार बनाये बिना प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। तथा खसरा नंबर 702/2 के सहखातेदारों से सहमति प्राप्त नहीं की गई। प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 702/2 के सहखातेदारों को पक्षकार नही बनाने एवं सहमति प्रस्तुत नहीं करने से प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

—आदेश—

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 3/3/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा